संख्या- क0नि05- 4118/11-2000

प्रेषक,

टी0जार्ज जोसेफ

प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी,
उ0प्र0 रा0 परिषद, इलाहाबाद।
2- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3- समस्त अपर मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5- समस्त अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), उत्तर प्रदेश।
6- समस्त उप /सहायक महानिरीक्षक निबंधन,
उत्तर प्रदेश।

कर एवं निबंधन अनुभाग-5 लखनऊ दिनांक 28 जुलाई 2000

विशेष- भारतीय स्टाम्प अधिनियम-1899 की धारा 47 क के अन्तर्गत शास्ति के अधिरोपण विषयक।

महोदय,

जैसा कि आपको ज्ञात है भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 47(क)(4) के अन्तर्गत यह व्यवस्था है कि यदि कलेक्टर द्वारा किसी विलेख पर कमी स्टाम्प पायी जाती है तो वह संबंधित पक्षकार को उचित स्टाम्प शुल्क अथवा कमी स्टाम्प शुल्क जमा करने के निर्देश देने के साथ- साथ ऐसी शास्ति अधिरोपित कर सकते है जो उक्त राशि के चार गुने से अधिक न हो। कई प्रकरणों में मिली शिकायतों से पता चला है कि प्रायः कलेक्टर ऐसी शास्ति मनचाहे तरीके से अधिरोपित करते हैं तथा निगरानी वादों में अधिरोपित शास्ति की अपील सुनने वाले अधिकारियों द्वारा मनचाहे तरीके से संशोधित भी कर दिया जाता है। इसके संबंध में कई मामलों में शासन को भ्रष्टाचार की शिकायतें मिली है और शासन इस निष्कर्ष पर पहुचां है कि जहां इस प्रकार का स्वेच्छाधिकार होगा वहां भ्रष्टाचार की पर्याप्त गुंजाइस है।

2- उपरोक्त को देखते हुए शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि भारतीय स्टाम्प अधिनियम की संबंधित धारा के प्राविधानों के अन्तर्गत शास्ति की दर निश्चित बना दी जाए ताकि इसके संबंध में कोई विवाद ही उत्पन्न हो और न ही किसी प्रकार के भ्रष्टाचार की गुंजाइश रहे। शास्ति की एक निश्चित दरें होने से यह भी लाभ होगा कि कमी स्टाम्प जमा न किए जाने की दशा में समय के साथ-साथ इसकी मात्रा बढ़ती जाएगी जो एक न्यायोचित बात होगी। इस निर्णय के तहत कलेक्टर का भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 47-क(3) के अन्तर्गत कलेक्टर की शक्ति का उपयोग करने वाले समस्त अधिकारियों को यह निर्देश दिए जाते हैं कि वे भविष्य में किसी भी विलेख के संबंध में कमी स्टाम्प शुल्क का निर्धारण करने पर ऐसी राशि को जमा करने के निर्देश देने के साथ साथ संबंधित पक्षकार को यह निर्देश भी देंगे कि वह विलेख के पंजीयन की तिथि से ऐसी कमी वाली राशि के 2 प्रतिशत प्रतिमाह

की दर से शास्ति भी जमा करें। शास्ति की राशि की गणना करते समय महीने के किसी एक भाग को भी पूरे महीने के बराबर माना जाएगा। इस प्रकार दी जाने वाली शास्ति की अधिकतम राशि कमी स्टाम्प शुल्क की राशि के चार गुने के कदापि अधिक नही होगी। चूंकि धारा-47क(3) के अंतर्गत शास्ति की व्यवस्था दिनांक 1-9-1998 से प्रभावी बनायी गयी है, अतः उपरोक्तानुसार निश्चित प्रतिशत के आधार पर शास्ति का अधिरोपण उन्ही स्टाम्प वादों में किया जायेगा, जिनमें अन्तर्ग्रस्त विलेखों का पंजीयन उक्त तिथि को या उसके पश्चात हुआ हो। इसी के साथ निगरानी वादों में सुनवाई करने वाले मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी की शक्तियों का उपयोग करने वाले अधिकारियों को यह निर्देश दिये जाते है कि वे कलेक्टर द्वारा उपरोक्तानुसार अधिरोपित की गई शास्ति को अपील में विचार करते समय परिवर्तित न करें।

3- कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए इस पत्र की प्राप्ति स्वीकार करने का कष्ट करें।

भवदीय

टी0जार्ज जोसेफ
प्रमुख सचिव

पृष्ठांकन पत्र संख्या 5(118)(1)/11-2000 तददिनांक
प्रतिलिपि स्टाम्प आयुक्त एवं अपर सचिव ,उत्तर प्रदेश, राजस्व परिषद इलाहाबाद|

आज्ञा से

टी0जार्ज जोसेफ
प्रमुख सचिव